

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 327/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/355  
दायर दिनांक :- 07.11.2022 निर्णय दिनांक :- 13.08.2025

1. रामकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति विश्नोई निवासी लूणावाला तहसील सूरतगढ जिला बीकानेर

-प्रार्थी

## बनाम

1. विनोदकुमार पुत्र हेतराम जाति विश्नोई निवासी लूणावाला तहसील सूरतगढ जिला बीकानेर
2. अमरीकसिंह पुत्र बनवारीलाल जाति विश्नोई निवासी लूणावाला तहसील सूरतगढ जिला बीकानेर
3. नरसीराम पुत्र बनवारीलाल जाति विश्नोई निवासी लूणावाला तहसील सूरतगढ जिला बीकानेर
4. प्रवीणकुमार पुत्र जगदीशचन्द्र जाति विश्नोई निवासी लूणावाला तहसील सूरतगढ जिला बीकानेर
5. पवनकुमार पुत्र जगदीशचन्द्र जाति विश्नोई निवासी लूणावाला तहसील सूरतगढ जिला बीकानेर
6. बिन्दरकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति विश्नोई निवासी लूणावाला तहसील सूरतगढ जिला बीकानेर
7. सलोचनादेवी पत्नी जगदीशचन्द्र जाति विश्नोई निवासी लूणावाला तह. सूरतगढ जिला बीकानेर
8. पपुदेवी पत्नी राजेन्द्रकुमार जाति विश्नोई निवासी खिन्दाकोर तहसील बावड़ी जिला जोधपुर

-अप्रार्थीगण

## राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री विजय तंवर अधि. अप्रार्थी संख्या 8

-:: निर्णय ::-

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है। प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 895/1 रकबा 18.1299 हैक्टेयर सरहद मौजा कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी को 1/10 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 को 1/10 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 को 1/10 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 को 1/30 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 को 1/30 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 को 1/10 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 7 को 1/30 हिस्सा बंट में आता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का आपसी सहमति का मौके पर मौखिक बंटवाड़ा पूर्व में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कर लिया था। उपरोक्त बंटवाड़ा अनुसार ही मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला हा रहा है,

A  13/8/25

इसी अनुसार मौके पर प्रार्थी की अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में सामलाती दर्ज है। अप्रार्थीगण अपनी कब्जा काश्त की भूमि को छोड़कर प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं प्रार्थी द्वारा आधुनिक तरीके से तैयार की गई भूमि से जबरन बेदखल करने पर उतारू है। उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने से प्रार्थी को काश्त करने में भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये बंटवाड़े का वाद पेश किया है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अपार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जावे कि उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में प्रार्थी के हिस्से व प्रार्थी द्वारा तैयार की गई भूमि में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदजी न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता विजय तंवर ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं—

### प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर के खाता संख्या 157 सम्वत् 2076-79 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार होने से वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं हो जाता तब तक किस खातेदार के हिस्से में किस स्थान पर भूमि बंट में आती है जिसका निर्धारण विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही तय किया जा सकता है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि बेचान/हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थी

क्षति होगी। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के विभाजन के हिस्से को लेकर विवाद के चलते प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

### सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना-पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है। अतः न्यायालय के अभिमत में प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा हो सकती है।

### अपूर्णनीय क्षति


अपूर्णनीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्त्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुये हैं। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

### —:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 895/1 रकबा 18.1299 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक व हिस्सा तक ता फ़ैसला दावा दखलअंदाजी न करे व राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाप (फलोदी)